



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण 1934 (श0)
(सं0 पटना 683) पटना, शुक्रवार, 21 दिसम्बर 2012

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

अधिसूचना
20 दिसम्बर 2012

सं0 जी0सां0का-34/2012/2422—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, "बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।**—(1) यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **उक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उप-नियम (1) में संशोधन।**—उक्त नियमावली, 1999 के नियम 5 के उप-नियम (1) में शब्द "जन्म" के बाद तथा शब्द "मृत्यु" के पूर्व शब्द, "दत्तक बच्चे का जन्म" अंतःस्थापित किये जायेंगे तथा शब्द फारम-1, 2 के मध्य "1-क" अंतःस्थापित किया जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय प्रकाश,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 683-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>